

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या 230/12

निर्णय दिनांक: 21-01-2020

1. राजा पुत्री हाजी नत्थू खॉ जाति मुसलमान निवासी चक 6 एसएसएम तहसील पूगल जिला बीकानेर।

—अपीलांट

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

—रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 28-03-1998
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थिति:-



1. श्री विजय पारिक, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियो, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के निर्णय दिनांक 28-03-1998 जिसके द्वारा अपीलांट का रकबा स्कीम से बाहर/अथवा अन्य को आवंटन बताकर आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट्स ने बतौर विशेष आवंटन के तहत तहसील पूगल के चक 15 एस.एस.एम. के मुरब्बा नम्बर 49/41 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र मय सबूत व धरोहर राशि के प्रस्तुत किया गया। अपीलांट द्वारा आवंटन प्रार्थना पत्र के साथ आवंटन हेतु आवश्यक तमाम सबूत पेश किये थे। उसके पश्चात् अपीलांट को कहा गया कि जब भी रकबा आवंटन करेंगे तो आपको रजिस्टर्ड नोटिस सूचित कर दिया जावेगा। अपीलांट रकबा आवंटन की सूचना का इंतजार करता रहा व अपीलांट को कोई नोटिस अथवा सूचना नहीं दी गई।

230/12
अपील
राजस्थान राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

तत्पश्चात् अदालत मातहत द्वारा करीब 2 वर्ष बाद दिनांक 28-03-1998 को आवंटन सलाहकार समिति की राय से उक्त आवेदन पत्र में आवेदित रकबा स्कीम से बाहर व अन्य को आवंटित होने का बताकर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया। जबकि अपीलांट द्वारा आवेदित रकबा रकबा विशेष आवंटन के गजट में वर्ष 1988 से नोटिफाईड किया हुआ है। जो कि स्कीम का रकबा था व अभी भी गजट में आरक्षित है तथा अन्य किसी व्यक्ति को आवंटित नहीं है।

ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त गजट का मिलान ही नहीं किया व एक साईक्लोस्टाईल आर्डरशीट में चक नम्बर व मुरब्बा नम्बर भरकर अपीलांट्स के प्रार्थना पत्र खारिज कर दिये गये। जबकि वादगत् भूमि आज भी रकबा राज दर्ज है, अन्य किसी को आवंटन नहीं हुई है। अपीलांट आज भी उक्त भूमि की नियमानुसार राशि जमा करवाने को तैयार है।

अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्रोत खेती ही है। इसलिए अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर व पीठ पीछे एकतरफा तौर पर पारित किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।



उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट्स ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 28-03-1998 के विरुद्ध अपील दिनांक 12-10-12 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुत्तरी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 28-03-1998 को पारित किया गया है। जिसके विरुद्ध अपील 12-10-2012 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके

खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस अथवा सूचना नहीं दी गई है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर पारित किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियाद घोषित की जाती है।


(1) हस्तगत प्रकरण में बतौर विशेष आवंटन के तहत तहसील पूगल में चक 15 पीबी के मुरब्बा नम्बर 49/41 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र वर्ष 1996 को मय सबूत व धरोहर राशि के प्रस्तुत किया गया। अपीलांट द्वारा आवंटन प्रार्थना पत्र के साथ आवंटन हेतु आवश्यक तमाम सबूत पेश किये थे। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है ना ही कोई नोटिस जारी किया गया। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है।

(2) अदालत मातहत को अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व वादगत भूमि के संबंध में सही स्थिति की जानकारी प्राप्त की जानी अप्रतिहार्य थी। अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए बिना अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना अपीलांट द्वारा आवेदिक रकबे के स्थान पर अन्य रकबे खारिज करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो किसी भी प्रकार से न्यायोचित व तर्कसंगत आदेश की परिभाषा में नहीं आता है।

(3) अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि किसी प्रकार से विवादित अथवा अन्य किसी व्यक्ति को आवंटित हो तो अपीलांट को पात्रता अनुसार अन्य भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 28-03-1998 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को नियमानुसार उसकी पात्रता की जाँच करते हुए, पात्रता सही पाये जाने पर समान श्रेणी की अन्य भूमि के आवंटन की कार्यवाही की जावे।

9. निर्णय आज दिनांक 21-01-2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।


(राजस्व अपील अधिकारी)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

